

तारीख  
हुकम

प्र. संख्या 39/2018 हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज न्याय. जिला बलरघर, इमानगढ़  
 इनवान - धरम डारि बनाम राजकुमार कृष्णराय लाल डारि

27.2.20

पञ्जावली पेडा डारि, जार्जी एवं कजार्जी कर्मि.  
 तथा G.A. उप-1 अजार्जी कर्मि. श्री कारे ह  
 पेडा ज.पत्र 5.12.19 श्री लड उति जार्जी अर्मि.  
 को ही गडि, पञ्जावली बालन बनाव ज.पत्र  
 दिनांक 5.3.20 को पेडा ह

5.3.20

उक्त पत्र कर्मि. उप-1 बनाव ज.पत्र जार्जी  
 कर्मि. श्री कारे ह पेडा डारि जल नकल ही  
 गडि, पञ्जावली बालन बनाव ज.पत्र 5.12.19  
 व केतिक नदस ज.पत्र 235 RTA दिनांक 12/3/20  
 को पेडा ह

12.3.2020

पञ्जावली पेडा डारि, कजार्जी गण G-1 ता S  
 क कर्मि. कारे ह दिनांक 5.12.2019  
 को उल्लुत ज.पत्र डि जार्जी बनाम न्यायालय  
 बलरघर कलसर्ट ह एवं उपसंग कर्मि. कारी  
 (माजदर) कारे के लकत चिचाराचीन वाड  
 पत्र पर कार्यवाही के संबन्ध के उल्लुत डारि  
 जल ह, बतकार के कारे न्यायालय के  
 पूर्व के परलक्षित कर्मि. कारी का ल्यानांतरण  
 हो चुका है एवं परीक्षितिको के परिवर्तन हो  
 जाते है जार्जी का ज.पत्र वेगुड हो चुका  
 है। अतः ज.पत्र पर कार्यवाही होप लकाई  
 जावे। उक्त ज.पत्र पर नदस के कजार्जी  
 कर्मि. कारे के जार्जी-पत्र के संक्षिप्त लकत  
 को देखाते हुए ज.पत्र श्वारिज करे का



Handwritten signatures and notes on the right margin, including a signature and the text 'श्री म. व. वरुणेश्वर'.

<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामी में जारी हुए</p>	<p>तारीख हुकम</p> <p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p> <p>आग्रह किया। जहाँ कमिश्नर के आ-पत्र का विरोध करते हुए कचन किताबि विचाराधीन प्रकरण आ-पत्र 235 RTA का कोटिगत व उमान काय लडापक कलेंकर के स्थानांतरित होने से समाप्त नहीं हो पाया है। न्यायालय का लडापक स्टॉफ (कर्मचारी एवं अधिकाारी) अपात्रीगण के कुचिंत उमान के है। न्याय निलन भी कोई काया नहीं है। आ-पत्र 235 RTA लवीकाए किया जाकर विचाराधीन वाद-पत्र न्यायालय लडापक कलेंकर एवं उपरगुट अधिकाारी, कादर से चिले के क-पत्र स्थानांतरित किया जावे।</p> <p>राजकीय कमिश्नर द्वारा आ-पत्र 235 RTA का विरोध व अपात्री ल. 1 ना 5 के आ-पत्र का लडापक करते हुए नडठ के कचन किया। आ-पत्र दिनांक 14.12.2018 का पेश होकर दि 17.12.2018 का डक हुआ है तथा तत्कालीन पीठाधीन अधिकाारी का स्थानांतरण होने से आ-पत्र अपात्रीगण 235 RTA लडापक हो चुका है। इस लिए अपात्रीगण का आ-पत्र लवीकाए कर कुल आ-पत्र 235 RTA स्वारित किया जावे।</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामी में जारी हुए</p>
--	--	--

तारीख  
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
जो इस हुकम में जारी है

द्वारा द्वारा उक्त पत्र अधिकाधिकार  
व राजकीय अधिकाधिकार श्री वदल पर  
कमन किता जमा तथा ज.पत्र जारीगा  
235 RTA व अधिकाधिकार द्वारा उल्लूत  
ज.पत्र 5.12.2018, जमान ज.पत्र अधिकाधिकार  
का कन्सिडर किता जमा। अधिकाधिकार द्वारा  
द्वारा ज.पत्र 235 RTA दिनांक 14.12.18  
का पेश होकर दिनांक 17.12.2018 का  
दर्ज हुआ है, वरन्तु दर्ज ज.पत्र  
पीछानी अधिकाधिकार का ल्यागारण  
होने से अधिकाधिकार द्वारा उल्लूत ज.पत्र  
235 RTA लागू हो चुका है अतः  
इसका अब कोई कोन्सिडर नही मचाई  
कतः अधिकाधिकार (अ.1) ता 5 के अधिकाधिकार  
श्री अरे से दिनांक 5.12.2018 का पेश  
ज.पत्र लीकार किता जाकर अधिकाधिकार  
श्री अरे से उल्लूत दल ज.पत्र 235  
RTA वर्तमान एटेज पर खारिज किता  
जाता है। व्याजालक (वहाकड कलक्टर एवं  
उपरवड अधिकाधिकार, कादरा का लिखित  
किता पत्र) पेशावली के लता शुका होकर  
कादिल दपुतर श्री पारी

सेरे इवलक कादेश सुगाता जमा

  
जिला कलेक्टर  
मुजफ्फर